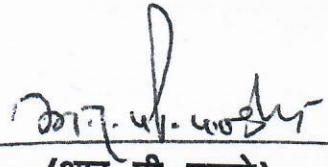


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
जिला न्यायालय रोहिणी : दिल्ली

परिपत्र

ऐसा प्रायः देखा गया है कि जिला न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने से पूर्व अंतिम कार्यदिवसों में अधिकतर न्यायालय कर्मचारी अवकाश पर चले जाते हैं जिससे न्यायालय का नियमित कामकाज बहुत प्रभावित होता है।

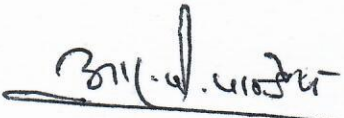
अतः जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि शीतकालीन अवकाश 2019 से पूर्व अंतिम दो कार्यदिवसों दिनांक 23.12.19 व 24.12.19 को किसी भी प्रकार के अवकाश पर ना रहें। उपर्युक्त दोनों कार्यदिवसों को लिए गए अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।


(आर. पी. पाण्डे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प): दिल्ली।

संख्या 37342-37407 प्रशासन अनुभाग-3(उ०प०)/रोहिणी न्यायालय/2019 दिल्ली, दिनांक 16/12/2019

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
2. सभी न्यायिक अधिकारी (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
3. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4. सभी अनुभाग प्रभारी/रीडर (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली। (इस निदेश के साथ कि उपर्युक्त परिपत्र/निदेश के विषय में उनके अधीन आने वाले समस्त कर्मचारियों को अवगत कराया जाए)
5. संबंधित कर्मचारी वेबसाइट/लेयरस रोहिणी न्यायालय दिल्ली।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला न्यायालय रोहिणी (उ/प): दिल्ली।